न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, उम्र 48 वर्ष, जाति- ब्राह्मण, निवासी- केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्मः-श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्याः 09/2019

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा

-: निर्णय :- दिनांक 09 जुलाई, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 19.7.2018 को समय 2.15 पी.एम. पर फर्म श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मनोज कुमार शर्मा पुत्र गोविन्द प्रसाद शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व फ्रिज के चेम्बर में बिक्री हेतु मौजूद Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के 80 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 मि.ली.) में से 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 मि.ली.) जांच हेतु खरीदे तथा उसकी कीमत रुपये 80/- अदा की व खरीद रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान व खाद्यकारोबारकर्ता को चार साफ सूखी व खाली बोतले दिखाई। लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकंर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पैक्ड पाउचेज को खोलकर चारों साफ सूखी, खाली बोतालें में अलग अलग भरा। प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर बोतलों को कॉर्क से एयर टाईट बन्द किया। खाली पाउचेज को नमूना बोतलों के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-806 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.7.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 19.7.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा से जांच हेतु क्रय किया गया Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का नमूना S-806 अमानक स्तर (Sub-standard)

....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

सिरोही (राज०)

पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन मनोज कुमार शर्मा ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियुक्त द्वारा अमानक (Sub-standard) Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 18.6.2019 व 09.7.2019 को प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रकरण में दिनांक 09.7.2019 को प्रतिवादी ने लिखित जवाब पेश कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 19.7.2018 को मेरे यहां से दूध का नमूना (ममता ताजा) जांच के लिये लिया गया था। वह जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया। उसका बिल मेरे पास उपलब्ध नही है। मैं भविष्य में इस प्रकार की खाद्य सामग्री का विक्रय नही करुंगा।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 09.7.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रतिवादी ने अमानक Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मानि योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा ने यह अनुरोध किया कि यह उसकी पहली गलती है तथा भविष्य में अमानक स्तर की खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.7.2018 को समय 2.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री गुरुं कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त दुकान/डेयरी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जन के उपयोग हेतु Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का विक्रय

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान/डेयरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मण परिहार पुत्र श्री हंसाराम परिहार, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता मनोज कुमार शर्मा को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान/डेयरी में फ्रिज के चेम्बर में बिक्री हेतु मौजूद Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के 80 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ML) में से Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ML) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) विक्रेता मनोज कुमार शर्मा को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी व खाली बोतले दिखाकर गवाहों एवं खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा के समक्ष उक्त खरीद शुदा Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) के पैक्ड पाउचेज को खोलकर चारों साफ सूखी खाली बोतलों में अलग अलग भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डाली तथा चारों नमूना बोतलों के ढ़क्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-806, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता मनोज कुमार शर्मा एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खाली पाउचेज को प्रत्येक नमूना बोतल के साथ लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-806 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता मनोज कुमार शर्मा व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल,

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा से Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबूलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.7.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का नमूना संख्या S-806 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./520/Act/2018/539 दिनांक 27.7.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज में खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार शर्मा से वास्ते नमूना जांच कय किया गया Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा ने अमानक स्तर (Sub-standard) Pasteurised Homogenised Toned Milk (Mamta Taaza Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, जाति- ब्राह्मण, निवासी- केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(मुहर: कार्यालय अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज०))

वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, निवासी- केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्री गुरु कृपा डेयरी प्रोडक्ट, केसरपुरा रोड, गोकुल वाडी, शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही